

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- नोसर देवी पत्नी दुर्गालाल राजोरा निवासी चमना बावड़ी के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
- वादिया

बनाम

- 1-2 मु. आशा, मु. छोटी पुत्री श्रीकिशन माली निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- देवकरण पुत्र देबीलाल माली निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4-7 मु. भूला, मु. मनभरी, शंकरलाल, मु. सीता पिता श्रीकिशन माली निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- गीतादेवी पत्नी गोकल माली निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- मांगू पुत्र जीवण माली निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत बंटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

मुकदमा नम्बर 53/2024 राजस्व वाद


यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व  
.....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादिया पुनः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विद्दो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 24 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



  
(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा